राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1311 दिनांक : 11/12/2017

कार्यालय आदेश

M/s Visa Drugs and Pharmaceuticals (P) Ltd., Vill.-Gullarwala, Near Sai Road, Baddi, Solan-173205 की वर्ष 2014–15 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(128)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2014/634 दिनांक 09/06/2014 के तहत औषधि Losartan Tablet IP 25mg [467] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 327 दिनांक 15/04/2015 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में निर्माता फर्म द्वारा औषधि Losartan Tablet IP 25mg के साथ Losartan Tablet IP 50mg लेबल की हुई समान बैच न. GT15024 निर्माण तिथि मई 2015 अवधि पार तिथि अप्रैल 2018 की भी सप्लाई की गयी। औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के बैच को Dissolution test and assay of Losartan Potassium (by HPLC) found 46.06% में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार पुनः जाँच हेतु औषधि के बैच का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाकर नमूने को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया गया जिसमें औषधि के उक्त बैच को Dissolution test and assay of Losartan Potassium (by HPLC) found 54.30% में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 15/11/2017 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ–साथ Spurious and Adulterated की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 08.11.2012 में लिए गये निर्णय में औषधि नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियो की गठित समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन को अंगीकार करने के कारण डिबारिंग दिशा निर्देशो के क्लॉज 4.8 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Visa Drugs and Pharmaceuticals (P) Ltd., Vill.-Gullarwala, Near Sai Road, Baddi, Solan-173205 की औषधि Losartan Tablet IP 25mg [467] को यह आदेश जारी करने की तिथि से तीन (3) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/1311 दिनांक : 11/12/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/ कर्नाटक/हरियाणा/ मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Visa Drugs and Pharmaceuticals (P) Ltd., Vill.-Gullarwala, Near Sai Road, Baddi, Solan-173205.
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.